न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 04 / 2025 निर्णय दिनांक :– 23.06.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :

धापू देवी पत्नी छीतरलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज0

प्रार्थीया –

बनाम

1. अनिता पुत्री सुवा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. कसकन्दा पुत्री हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
3. कालू पुत्र किशना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
4. काली पुत्री हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0 (मृतक)

4 / 1–नन्दलाल पुत्र माता काली जाति गुर्जर हाल निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

5. गिरिराज पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
6. गोरया पुत्री सुवा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
7. नर्मकीन पुत्री सुवा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
8. प्रकाशी पुत्री हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
9. बाबूलाल पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
10. ममता पुत्री सुवा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
11. मोत्या पत्नि सुवा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
12. रीना पुत्री सुवा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
13. तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोक राज0

– अप्रार्थीगण –

–उपस्थिति –

श्री बाबूलाल मीणा

अधिवक्ता प्रार्थीया

23.06.25

एकपक्षीय कार्यवाही

विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4, 4 / 1 व 5 ता 12

दावा तकासमा आराजियत एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 12 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 37 खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम खरोई पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टोक राज0 मे स्थित है। उक्त आराजी भूमि में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 12 का है। प्रार्थीया एवं प्रतिपक्षीगण 1 ता 12 ने मोके पर मोखिक रूप से बंटवारा कर रखा है जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीया अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर मोके पर काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड मे विधिवत रूप से तकासमा नही हो रखा है इस कारण उक्त आराजीयात के लगान अदा करने को लेकर एवं उक्त आराजीयात की सीमा एवं कब्जे को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। प्रार्थीया ने प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 12 को उक्त आराजीयात का हिस्से एवं कब्जे के अनुसार सहमति से तकासमा करने के लिये निवेदन किया जिससे उक्त आराजीयात बाबत किसी प्रकार का विवाद ना हो परन्तु प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 12 ने सहमति से तकासमा करने से मना कर दिया तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त मे गजामहत कर नाजायज रूप से प्रार्थीया के हिस्से की भूमि मे कब्जा करने की धमकी दी। आज से 5 दिन पूर्व प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 12 ने सहमति से तकासमा करने से मना कर दिया तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त मे मजामहत कर नाजायज रूप से प्रार्थीया के हिस्से की भूमि में कब्जा करने की धमकी दी इसलिये प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 12 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेंट, नोकर, चाकर व अन्य पारिवारिक सदस्यो के प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात को बिना विधिवत तकासमा हुये अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत नहीं करें, प्रार्थीया के 1/2 हिस्से व कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा नही करें, प्रार्थीया को भूमि से बेदखल नही करे तथा प्रार्थीया के हिस्से की हद तक प्रार्थीया के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मोके की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 12 को उक्त आशय से पांबद नही किया गया तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढेगी। प्रतिपक्षी संख्या 13 तहसीलदार जी दूनी को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 12 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेंट नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी भूमि खाता संख्या 37 खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.

23.06.25

है0 वाके ग्राम खरोई पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टोक राज0 को बिना विधिवत तकासमा हुये अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें, प्रार्थीया के 1/2 हिस्से व कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा नही करें, प्रार्थीया को भूमि से बेदखल नही करे तथा प्रार्थीया के हिस्से की हद तक प्रार्थीया के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मोके की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3, 4/1 व 5 ता 12 के बावजूद जरिए रजि. ए. डी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी से बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3, 4/1 व 5 ता 12 को प्रार्थना अनुसार जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संम्वत 2071–74 वाके ग्राम खरोई तहसील दूनी के खाता संख्या 37 के ख. नं. 1122 रकबा 0.92 है0, की प्रार्थीया सहखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने के कारण व अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के कारण अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के लिए आवश्यक तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में है और प्रार्थीया अनुसार वर्तमान स्थिति विकट विवाद की बन चुकी है और स्थिति अधिक नही बिगड़े इसके लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को पाबन्द करना उचित प्रतीत होता है। वास्तविक तथ्य साक्ष्य व सबूतो के माध्यम से वाद में नियंत होंगे। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4, 4/1 व 5 ता 12 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाके ग्राम वाके ग्राम खरोई तहसील दूनी के खाता संख्या 37 के ख. नं. 1122 रकबा 0.92 है0,में प्रार्थीया के 1/2 हिस्से से प्रार्थीया को बेदखल नहीं करे, प्रार्थी के कब्जेकाश्त, उपयोग–उपभोग, फसल बोने, काटने, लाने ले जाने में किसी प्रकार की बाधा व मजाहत नहीं करे तथा उक्त आराजी की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। ताफैसलावाद पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ हमफिता हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 23.06.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली